राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.1(14) डीओपी/ए-2/82 पार्ट जयपुर, दिनांक: 3.03.2025

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान उद्योग सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960 से संलग्न अनुसूची-I में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1,2,3 और 4 को क्रमश: क्रम संख्यांक 2,3,4 और 5 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार पुन:संख्यांकित क्रम संख्यांक 2 से पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"
1.	वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य	100% पदोन्नति द्वारा	-	अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य	सेवा में सम्मिलित पदों पर कुल मिलाकर 25 वर्ष का अनुभव।	-

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव।

11/2025